



निवास अनुमति (रेसीडेंट परमिट) पर जानकारी मानवीय कारणों के लिए अनुच्छेद 25.5 के अनुसार

मानविय कारणों से निवास की अनुमति (रेसीडेंट परमिट) का क्या मतलब होता है?

अगर मुझे वापिस जाना पड़े (अपने देश) लेकिन किसी ठोस कारणों से मैं वापिस जाने में असमर्थ हूँ ऐसे में मुझे मानवीय कारणों के लिए निवास की अनुमति (रेसीडेंट परमिट) मिल सकती है। इस प्रकार की निवास की अनुमति प्राप्त करने के कई सारे कारण हैं।

मुझे मानवीय कारणों के लिए निवास की अनुमति कब मिल सकती है?

- ✓ वर्तमान में मेरे पास डुलडूंग है (अनुच्छेद 60 ए के अनुसार, डुलडूंग पेपर देखें)।
- ✓ मुझे निर्वासित (डिपोर्ट) नहीं किया जा सकता है। कुछ कारण हैं जिनको मैं प्रभावित नहीं कर सकता और यह जल्द नहीं बदलेंगे।

मैं वापिस नहीं जा सकता क्योंकि:

- ✓ मैं बहुत बीमार हूँ और मेरी बीमारी के कारण वापिस नहीं जा सकता
 - ↳ या मेरे पास जर्मनी में रहने वाले कुछ लोगों के साथ पारिवारिक संबंध हैं
 - ↳ या मैं यहाँ बहुत समय से रहता हूँ और मैं यहाँ स्थायी हूँ
 - ↳ या मेरे देश में पर्याप्त परिवहन (यातायात सुविधाएँ) नहीं हैं
 - ↳ या मेरे पास मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है और दूतावास से कोई कागजात नहीं मिले
अधिक जानकारी [Mitwirkungspflicht](#) पर।
- ✓ मेरे पास पासपोर्ट या विदेशियों के लिए प्रवास-पास या अन्य पहचान पत्र (आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, पंजीकरण रिकॉर्ड)
 - ↳ या मैं साबित कर सकता हूँ कि मेरे पास पासपोर्ट या पहचान पत्र / विदेशियों के लिए प्रवास-पत्र (नया) है। महत्वपूर्ण है कि पासपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास साबित करने योग्य हैं: उदाहरण के रूप से मूल देश के दूतावास से मिली लिखित पुष्टि या पासपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए मूल देश में सरकारी अधिकारियों के संपर्क के प्रमाण से।
 - ↳ या मैं साबित कर सकता हूँ कि निकट भविष्य में मुझे अपने देश के विदेश-मिशन से पहचान का दस्तावेज नहीं मिलेगा और आगे के प्रयास / प्रयास अस्वीकार्य हैं (यानी: मेरे लिए आवश्यक नहीं है)
 - ↳ या पासपोर्ट ना होने (कमी होने) के मामले में: मैं साबित कर सकता हूँ कि मैंने पासपोर्ट प्राप्त करने की और मेरी पहचान को स्पष्ट करने के लिए सबकुछ करने की कोशिश की है (यानी, "सहयोग करने के लिए कानूनी दायित्वों का पालन करना")।
- ✓ मैं आर्थिक रूप से (50% से अधिक) आत्म निर्भर हो के खुद को पोषित कर सकता हूँ या मुझे आजीविका जल्द ही प्राप्त हो सकती है ("सकारात्मक पूर्वानुमान"):
- ✓ मैं इन परिस्थितियों में सामाजिक सहायता का हकदार हूँ: शिक्षा या आउसबिल्डिंग, नाबालिग, अकेले माता-पिता की देखभाल करना या करीबी रिश्तेदारों की देखभाल करना
 - ↳ या मैं बीमार हूँ या शारीरिक या मानसिक क्षति है या मेरी उम्र के कारण काम नहीं कर सकता,
- ✓ मुझे जर्मन भाषा का मौखिक ज्ञान ए २ (A2) लेवल तक है,
- ✓ अगर मेरे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना पड़ता है, तो मैं बच्चों की स्कूल उपस्थिति साबित कर सकता हूँ,



निवास अनुमति (रेसीडेंट परमिट) पर जानकारी मानवीय कारणों के लिए अनुच्छेद 25.5 के अनुसार

- ✓ अपराधों के लिए कोई दोषसिद्धि नहीं है, लेकिन: आपराधिक रिकॉर्ड के साथ भी निवास परमिट का अनुरोध किया जाना चाहिए,
- ✓ मैं जर्मनी में "मुक्त लोकतांत्रिक मूल आदेश" को स्वीकार करता हूँ: इसके लिए मैं आउसलांडर-बहयोर्ड (फ़ोरेन का, र्यालय) में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। दस्तावेज़ को पहले पढ़ना और फिर साइन करना अच्छा होता है,
- ✓ मुझे "कानून, सामाजिक व्यवस्था और जर्मनी में रहने के तौर तरीके" पता है। नोट: कृपया परामर्श केंद्र से संपर्क करें क्योंकि आखिरकार सबूत जरूरी है।

और क्या महत्वपूर्ण है?

- ! सभी अनुरोधित दस्तावेजों के साथ आवेदन का समय मायने रखता है।
- ! कानून के अनुसार सभी आवश्यकताओं और दस्तावेज एक साथ उपस्थित होने चाहिए।
- ! फिर आउसलांडर-बहयोर्ड (फ़ोरेन कार्यालय) को निवास की अनुमति देनी होगी।

कुछ विनिर्देशों के लिए अपवाद संभव है। आउसलांडर-बहयोर्ड को एक विवेकाधिकार है। विशेष रूप से यदि कोई शर्त / दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है क्योंकि मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ।

सहयोग करने का दायित्व (**MITWIRKUNGSPFLICHT**) ज्यादातर पहचान पत्रों से संबंधित / आधारित है।

यह सुनिश्चित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी सहभागिता को पहचाना जाए?

- ✓ आउसलांडर-बहयोर्ड मानता है कि मैं इस तथ्य के लिए ज़िम्मेदार हूँ कि मुझे निर्वासित (डिपोर्ट) नहीं किया जा सकता है।
- ✓ केवल एक का अपना व्यवहार सुसंगत माना जाता है, न कि परिवार के सदस्यों का व्यवहार,
- ✓ केवल सहयोग दायित्वों का वर्तमान उल्लंघन सुसंगत हैं। पिछला व्यवहार किसी कारण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है, अगर वर्तमान में सहयोग करने का दायित्व पूरा हो गया है।

मुझे कहा सहयोग मिल सकता है?

👤 यदि आपको आवश्यकताओं को पूरा करने और तैयारी के बारे में कोई प्रश्न है, तो परामर्श केंद्र पर जाना या कानूनी सहायता लेना सहायक होगा।

निम्नलिखित स्थान आपको मदद कर सकते हैं:

- Sachsen-Anhalt में: die Beratungsstellen der Gesonderten Beratung und Betreuung
🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/adressen-und-beratungsstellen/kontakte-landesweit/>,
- das Projekt „Right of Residence“ 🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/ueber-uns/projekte/ror/> des Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
- अन्य सभी राज्यों में: Flüchtlingsräte 🔗 <http://www.fluechtlingsrat.de/> वे या तो स्वयं सलाह देते हैं या परामर्श केंद्रों को संपर्क कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो विशेष वकीलों से भी संपर्क कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिये:

- Gutachten zu Mitwirkungspflichten von Dr. Carsten Hörich und Stud. Iur. Moritz Putzar-Sattler: „Voraussetzungen von Sanktionen bei Nichtmitwirkung im Ausländerrecht“
🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2017/11/9275/>;
- 🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2018/08/ror-gutachten-zu-aufenthaltsmoeglichkeiten-nach-dem-asylverfahren>



आउसबिल्डूंग विषयक जानकारी

! कानूनी विनियमन § 60 ए अनुच्छेद 2 वाक्य 4 के तहत पाया जा सकता है। निवास अधिनियम।

आउसबिल्डूंग का मतलब क्या है?

इलडूंग के विभिन्न प्रकार हैं। आउसबिल्डूंग के साथ मैं जर्मनी में प्रशिक्षण की अवधि के लिए रह सकता हूँ। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, मैं पेशे में काम करने के लिए दो साल तक निवास परमिट प्राप्त कर सकता हूँ। इसे "3 + 2 विनियमन" कहा जाता है।

मुझे आउसबिल्डूंग कब मिल सकता है?

- ✓ मेरे पास वर्तमान में इलडूंग है (अनुच्छेद 60 ए के अनुसार, इलडूंग पेपर देखें),
- ✓ मैं कम से कम 14 वर्ष का हूँ - कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है -
- ✓ मुझे प्रशिक्षण (आउसबिल्डूंग) स्थान मिल रहा है:
 - ✓ अगर यह एक "व्यावसायिक प्रशिक्षण" है। यह एक राज्य द्वारा स्वीकार्य उद्यम या तुलनात्मक रूप से विनियमित प्रशिक्षण व्यवसाय में एक कंपनी प्रशिक्षण है। उदाहरण के रूप से यह एक स्कूल व्यावसायिक प्रशिक्षण हो।
 - ✓ प्रशिक्षण कम से कम 2 साल तक चलना चाहिए। अंत में, यह एक राज्य स्वीकार्य या तुलनीय डिग्री है।
- ✓ मेरे पास प्रशिक्षण शुरू करने का सबूत है:
 - ✓ हस्ताक्षरित प्रशिक्षण / प्रशिक्षण अनुबंध (कॉन्ट्राक्ट) की मूल और प्रतिलिपि,
 - ✓ प्रशिक्षण में भर्ती के पंजीकरण का सबूत (शिक्षा रजिस्टर के अंश),
 - ↳ या फिर सक्षम प्राधिकारी / कक्ष द्वारा प्रशिक्षण अनुबंध पर सकारात्मक परिणाम (मूल क़ोपी पर "प्रमाणित स्टैम्प") का सबूत,
 - ↳ या व्यावसायिक स्कूलों या तकनीकी कॉलेजों में व्यावसायिक प्रशिक्षण: राज्य या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल का प्रशिक्षण।
- ✓ मैंने प्रशिक्षण शुरू कर दिया है या मैं इसे जल्द ही शुरू करूंगा। **! आवेदन जमा होने के बाद प्रशिक्षण शुरू करने के बारे में अलग-अलग राजनीतिक और कानूनी राय हैं।**
 - ▶ आवेदन और प्रशिक्षण की शुरुआत के बीच का समय संघीय राज्यों में अलग-अलग विनियमित होता है और 6 सप्ताह से 6 महीने तक जा सकता है। कृपया जरूरी समर्थन की तलाश करें।
 - ▶ "पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण" के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत तक अवधि के लिए इलडूंग प्राप्त करना संभव है।
- ✓ मेरे पास पासपोर्ट या विदेशियों के लिए प्रवास-पास या अन्य पहचान पत्र (आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, पंजीकरण रिकॉर्ड)
 - ↳ या मैं साबित कर सकता हूँ कि मेरे पास पासपोर्ट या पहचान पत्र / विदेशियों के लिए प्रवास-पत्र (नया) है। महत्वपूर्ण है कि पासपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास साबित करने योग्य हैं: उदाहरण के रूप से मूल देश के दूतावास से मिली लिखित पुष्टि या पासपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए मूल देश में सरकारी अधिकारियों के संपर्क के प्रमाण से।
 - ↳ या मैं साबित कर सकता हूँ कि निकट भविष्य में मुझे अपने देश के विदेश-मिशन से पहचान का दस्तावेज नहीं मिलेगा और आगे के प्रयास / प्रयास अस्वीकार्य हैं (यानी: मेरे लिए आवश्यक नहीं है)
 - ↳ या पासपोर्ट ना होने (कमी होने) के मामले में: मैं साबित कर सकता हूँ कि मैंने पासपोर्ट प्राप्त करने की और मेरी पहचान को स्पष्ट करने के लिए सबकुछ करने की कोशिश की है (यानी, "सहयोग करने के लिए कानूनी दायित्वों का पालन करना")।
- ! अगर मेरी पहचान कानूनी रूप से स्पष्ट है, तो आउसलांडर-बहयोर्ड को मुझे रोजगार परमिट देना होगा।**



आउसबिल्डूंग विषयक जानकारी

सहयोग करने का दायित्व (MITWIRKUNGSPFLICHT) ज्यादातर पहचान पत्रों से संबंधित / आधारित है।

यह सुनिश्चित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी सहभागिता को पहचाना जाए?

- ✓ आउसलांडर-बहयोर्ड मानता है कि मैं इस तथ्य के लिए ज़िम्मेदार हूँ कि मुझे निर्वासित (डिपोर्ट) नहीं किया जा सकता है।
- ✓ केवल एक का अपना व्यवहार सुसंगत माना जाता है, न कि परिवार के सदस्यों का व्यवहार,
- ✓ केवल सहयोग दायित्वों का वर्तमान उल्लंघन सुसंगत हैं। पिछला व्यवहार किसी कारण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है, अगर वर्तमान में सहयोग करने का दायित्व पूरा हो गया है।

! काम की अनुमति (वर्क परमिट) - मैं क्यों प्राप्त नहीं कर सकता?

उदाहरण के लिए, "सामाजिक आहायता प्राप्त करने से माना किया जाना" या 31.08.2015 के बाद आश्रय मिला था और मैं मूल "सुरक्षित" रेटेड देश से आता हूँ या "सहयोग करने के दायित्व" (Mitwirkungspflicht) को स्वीकार्य नहीं किया जाता है, इसलिए काम की अनुमति (वर्क परमिट) से इनकार किया जा सकता है।

और क्या महत्वपूर्ण है?

- ! सभी अनुरोधित दस्तावेजों के साथ आवेदन का समय मायने रखता है।
- ! सैद्धांतिक रूप से, सब कुछ साबित होना है।
- ! कानून के अनुसार सभी आवश्यकताओं और दस्तावेज एक साथ उपस्थित होने चाहिए।
- ! फिर आउसलांडर-बहयोर्ड (फ़ोरेन कार्यालय) को निवास की अनुमति देनी होगी।

कुछ विनिर्देशों के लिए अपवाद संभव है। आउसलांडर-बहयोर्ड को एक विवेकाधिकार है। विशेष रूप से यदि कोई शर्त / दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है क्योंकि मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ।

आगे के विनिर्देश

- ! इमिग्रेशन ऑफिस (आउसलांडर-बहयोर्ड) ने अभी तक निवास की अनुमति को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कारवाई नहीं शुरू की है।

उदाहरण के रूप से पासपोर्ट प्रतिस्थापन पत्रों के लिए आवेदन या निर्वासन (डिपोर्ट) के लिए पहले से ही एक नियोग है या डबलिन प्रस्तुति उत्सव।

मुझे कहा सहयोग मिल सकता है? 🗣️ यदि आपको आवश्यकताओं को पूरा करने और तैयारी के बारे में कोई प्रश्न है, तो परामर्श केंद्र पर जाना या कानूनी सहायता लेना सहायक होगा।

निम्नलिखित स्थान आपको मदद कर सकते हैं:

- Sachsen-Anhalt में: die Beratungsstellen der Gesonderten Beratung und Betreuung
🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/adressen-und-beratungsstellen/kontakte-landesweit/>,
- das Projekt „Right of Residence“ 🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/ueber-uns/projekte/ror/> des Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.;
- अन्य सभी राज्यों में: Flüchtlingsräte 🔗 <http://www.fluechtlingsrat.de/> वे या तो स्वयं सलाह देते हैं या परामर्श केंद्रों को संपर्क कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो विशेष वकीलों से भी संपर्क कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिये:

- Gutachten zu Mitwirkungspflichten von Dr. Carsten Hörich und Stud. Iur. Moritz Putzar-Sattler: „Voraussetzungen von Sanktionen bei Nichtmitwirkung im Ausländerrecht“ 🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2017/11/9275/>;
- 🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2018/08/ror-gutachten-zu-aufenthaltsmoeglichkeiten-nach-dem-asylverfahren/>; Arbeitshilfe des Paritätischen Gesamtverband: Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 S. 4ff. AufenthG: Praxistipps und Hintergründe von Kirsten Eichler, GGUA Flüchtlingshilfe aus Münster, 2. Auflage August 2018 🔗 https://www.derparitaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2018-08_ausbildungsduldung-2018_web.pdf



निवास-अधिकार अधिनियम की जानकारी

अनुच्छेद 25 ए निवास अधिनियम के अनुसार

निम्नलिखित मुद्दों का निवास-अधिकार के लिए महत्व हैं:

- ✓ वर्तमान में मेरे पास इलडूंग है (अनुच्छेद 60 ए के अनुसार, इलडूंग पेपर देखें),
- ✓ मैं 14-20 साल के बीच हूँ और अपने 21 वें जन्मदिन से पहले आवेदन कर रहा हूँ,
- ✓ मैं जर्मनी में कम से कम 4 वर्षों से रहा हूँ,
- ✓ मैं वर्तमान में और सार्वजनिक कॉलेज या व्यावसायिक स्कूल में कम से कम चार साल से हूँ
- ✎ या मेरे पास पहले से ही एक स्कूल या व्यावसायिक डिग्री है और मैं आर्थिक रूप से ज्यादातर आत्म निर्भर हो के खुद को पोषित कर सकता हूँ या मुझे आजीविका जल्द ही प्राप्त हो सकती है ("सकारात्मक पूर्वानुमान"):
- ✓ मैं इन परिस्थितियों में सामाजिक सहायता का हकदार हूँ: शिक्षा या आउसबिल्डूंग, नाबालिग, अकेले माता-पिता की देखभाल करना या करीबी रिश्तेदारों की देखभाल करना
- ✎ या मैं बीमार हूँ या शारीरिक या मानसिक क्षति है या मेरी उम्र के कारण काम नहीं कर सकता,
- ✓ मेरे पास पासपोर्ट या विदेशियों के लिए प्रवास-पास या अन्य पहचान पत्र (आईडी कार्ड, डाइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, पंजीकरण रिकॉर्ड)
- ✎ या मैं साबित कर सकता हूँ कि मेरे पास पासपोर्ट या पहचान पत्र / विदेशियों के लिए प्रवास-पत्र (नया) है। महत्वपूर्ण है कि पासपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास साबित करने योग्य हैं: उदाहरण के रूप से मूल देश के दूतावास से मिली लिखित पुष्टि या पासपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए मूल देश में सरकारी अधिकारियों के संपर्क के प्रमाण से।
- ✎ या मैं साबित कर सकता हूँ कि निकट भविष्य में मुझे अपने देश के विदेश-मिशन से पहचान का दस्तावेज नहीं मिलेगा और आगे के प्रयास / प्रयास अस्वीकार्य हैं (यानी: मेरे लिए आवश्यक नहीं है)
- ✎ या पासपोर्ट ना होने (कमी होने) के मामले में: मैं साबित कर सकता हूँ कि मैंने पासपोर्ट प्राप्त करने की और मेरी पहचान को स्पष्ट करने के लिए सबकुछ करने की कोशिश की है (यानी, "सहयोग करने के लिए कानूनी दायित्वों का पालन करना")।
- ✓ मैं जर्मनी में "मुक्त लोकतांत्रिक मूल आदेश" को स्वीकार करता हूँ: इसके लिए मैं आउसलांडर-बहयोर्ड (फ़ोरेन कार्यालय) में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। दस्तावेज़ को पहले पढ़ना और फिर साइन करना अच्छा होता है,
- ✓ मुझे "कानून, सामाजिक व्यवस्था और जर्मनी में रहने के तौर तरीके" पता है। नोट: कृपया परामर्श केंद्र से संपर्क करें क्योंकि आखिरकार सबूत जरूरी है।
- ✓ अपराधों के लिए कोई दोषसिद्धि नहीं है, लेकिन: आपराधिक रिकॉर्ड के साथ भी निवास परमिट का अनुरोध किया जाना चाहिए,



निवास-अधिकार अधिनियम की जानकारी

अनुच्छेद 25 ए निवास अधिनियम के अनुसार

सहयोग करने का दायित्व (MITWIRKUNGSPFLICHT) ज्यादातर पहचान पत्रों से संबंधित / आधारित है।

यह सुनिश्चित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी सहभागिता को पहचाना जाए?

- ✓ आउसलांडर-बहयोर्ड मानता है कि मैं इस तथ्य के लिए ज़िम्मेदार हूँ कि मुझे निर्वासित (डिपोर्ट) नहीं किया जा सकता है।
- ✓ केवल एक का अपना व्यवहार सुसंगत माना जाता है, न कि परिवार के सदस्यों का व्यवहार,
- ✓ केवल सहयोग दायित्वों का वर्तमान उल्लंघन सुसंगत हैं। पिछला व्यवहार किसी कारण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है, अगर वर्तमान में सहयोग करने का दायित्व पूरा हो गया है।

और क्या महत्वपूर्ण है?

- ! सभी अनुरोधित दस्तावेजों के साथ आवेदन का समय मायने रखता है।
- ! कानून के अनुसार सभी आवश्यकताओं और दस्तावेज एक साथ उपस्थित होने चाहिए।
- ! फिर आउसलांडर-बहयोर्ड (फ़ोरेन कार्यालय) को निवास की अनुमति देनी होगी।

कुछ विनिर्देशों के लिए अपवाद संभव है। आउसलांडर-बहयोर्ड को एक विवेकाधिकार है। विशेष रूप से यदि कोई शर्त / दस्तावेज उपलब्ध नहीं है क्योंकि मैं (आउसलांडर-बहयोर्ड) इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ।

मुझे कहा सहयोग मिल सकता है?

👤 यदि आपको आवश्यकताओं को पूरा करने और तैयारी के बारे में कोई प्रश्न है, तो परामर्श केंद्र पर जाना या कानूनी सहायता लेना सहायक होगा।

निम्नलिखित स्थान आपको मदद कर सकते हैं:

- ▶ Sachsen-Anhalt में: die Beratungsstellen der Gesonderten Beratung und Betreuung
🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/adressen-und-beratungsstellen/kontakte-landesweit/>,
- ▶ das Projekt „Right of Residence“ 🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/ueber-uns/projekte/ror/> des Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
- ▶ अन्य सभी राज्यों में: Flüchtlingsräte 🔗 <http://www.fluechtlingsrat.de/> वे या तो स्वयं सलाह देते हैं या परामर्श केंद्रों को संपर्क कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो विशेष वकीलों से भी संपर्क कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिये:

- ▶ Gutachten zu Mitwirkungspflichten von Dr. Carsten Hörich und Stud. Iur. Moritz Putzar-Sattler: „Voraussetzungen von Sanktionen bei Nichtmitwirkung im Ausländerrecht“
🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2017/11/9275/>;
- 🔗 [https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2018/08/ror-gutachten-zu-aufenthaltsmoeglichkeiten-nach-dem-asylverfahren](https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2018/08/ror-gutachten-zu-aufenthaltsmoeglichkeiten-nach-dem-asylverfahren;);
- 🔗 https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2017-11-13_bleiberecht-2017_web.pdf



निवास-अधिकार अधिनियम की जानकारी

अनुच्छेद 25 बी निवास अधिनियम के अनुसार

निम्नलिखित मुद्दों का निवास-अधिकार के लिए महत्व है:

- ✓ वर्तमान में मेरे पास इलडूंग है (अनुच्छेद 60 ए के अनुसार, इलडूंग पेपर देखें),
- या मैं कम से कम 8 सालों से जर्मनी में हूँ, जब मैं अकेला रहता हूँ
- या मैं कम से कम 6 सालों से जर्मनी में हूँ, जब मैं एक नाबालिग बच्चे (न केवल सगे बच्चे, बल्कि देखभाल करने वालों और सौतेले बच्चों) के साथ रहता हूँ,
- ✓ मैं आर्थिक रूप से (50% से अधिक) आत्म निर्भर हो के खुद को पोषित कर सकता हूँ या मुझे आजीविका जल्द ही प्राप्त हो सकती है ("सकारात्मक पूर्वानुमान"):
- ✓ मैं इन परिस्थितियों में सामाजिक सहायता का हकदार हूँ: शिक्षा या आउसबिल्डूंग, नाबालिग, अकेले माता-पिता की देखभाल करना या करीबी रिश्तेदारों की देखभाल करना
- या मैं बीमार हूँ या शारीरिक या मानसिक क्षति है या मेरी उम्र के कारण काम नहीं कर सकता,
- ✓ मेरे पास पासपोर्ट या विदेशियों के लिए प्रवास-पास या अन्य पहचान पत्र (आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, पंजीकरण रिकॉर्ड)
- या मैं साबित कर सकता हूँ कि मेरे पास पासपोर्ट या पहचान पत्र / विदेशियों के लिए प्रवास-पत्र (नया) है। महत्वपूर्ण है कि पासपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास साबित करने योग्य हैं: उदाहरण के रूप से मूल देश के दूतावास से मिली लिखित पुष्टि या पासपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए मूल देश में सरकारी अधिकारियों के संपर्क के प्रमाण से।
- या मैं साबित कर सकता हूँ कि निकट भविष्य में मुझे अपने देश के विदेश-मिशन से पहचान का दस्तावेज नहीं मिलेगा और आगे के प्रयास / प्रयास अस्वीकार्य हैं (यानी: मेरे लिए आवश्यक नहीं है)
- या पासपोर्ट ना होने (कमी होने) के मामले में: मैं साबित कर सकता हूँ कि मैंने पासपोर्ट प्राप्त करने की और मेरी पहचान को स्पष्ट करने के लिए सबकुछ करने की कोशिश की है (यानी, "सहयोग करने के लिए कानूनी दायित्वों का पालन करना")।
- ✓ मुझे जर्मन भाषा का मौखिक ज्ञान ए २ (A2) लेवल तक है,
- ✓ अगर मेरे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना पड़ता है, तो मैं बच्चों की स्कूल उपस्थिति साबित कर सकता हूँ,
- ✓ अपराधों के लिए कोई दोषसिद्धि नहीं है, लेकिन: आपराधिक रिकॉर्ड के साथ भी निवास परमिट का अनुरोध किया जाना चाहिए,
- ✓ मैं जर्मनी में "मुक्त लोकतांत्रिक मूल आदेश" को स्वीकार करता हूँ: इसके लिए मैं आउसलांडर-बहयोर्ड (फ़ोरेन कार्यालय) में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। दस्तावेज़ को पहले पढ़ना और फिर साइन करना अच्छा होता है,
- ✓ मुझे "कानून, सामाजिक व्यवस्था और जर्मनी में रहने के तौर तरीक़े" पता है। नोट: कृपया परामर्श केंद्र से संपर्क करें क्योंकि आखिरकार सबूत जरूरी है।



निवास-अधिकार अधिनियम की जानकारी

अनुच्छेद 25 बी निवास अधिनियम के अनुसार

सहयोग करने का दायित्व (MITWIRKUNGSPFLICHT) ज्यादातर पहचान पत्रों से संबंधित / आधारित है।

यह सुनिश्चित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी सहभागिता को पहचाना जाए?

- ✓ आउसलांडर-बहयोर्ड मानता है कि मैं इस तथ्य के लिए ज़िम्मेदार हूँ कि मुझे निर्वासित (डिपोर्ट) नहीं किया जा सकता है।
- ✓ केवल एक का अपना व्यवहार सुसंगत माना जाता है, न कि परिवार के सदस्यों का व्यवहार,
- ✓ केवल सहयोग दायित्वों का वर्तमान उल्लंघन सुसंगत हैं। पिछला व्यवहार किसी कारण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है, अगर वर्तमान में सहयोग करने का दायित्व पूरा हो गया है।

और क्या महत्वपूर्ण है?

- ! सभी अनुरोधित दस्तावेजों के साथ आवेदन का समय मायने रखता है।
- ! कानून के अनुसार सभी आवश्यकताओं और दस्तावेज एक साथ उपस्थित होने चाहिए।
- ! फिर आउसलांडर-बहयोर्ड (फ़ोरेन कार्यालय) को निवास की अनुमति देनी होगी।

कुछ विनिर्देशों के लिए अपवाद संभव है। आउसलांडर-बहयोर्ड को एक विवेकाधिकार है। विशेष रूप से यदि कोई शर्त / दस्तावेज उपलब्ध नहीं है क्योंकि मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ।

मुझे कहा सहयोग मिल सकता है?

👤 यदि आपको आवश्यकताओं को पूरा करने और तैयारी के बारे में कोई प्रश्न है, तो परामर्श केंद्र पर जाना या कानूनी सहायता लेना सहायक होगा।

निम्नलिखित स्थान आपको मदद कर सकते हैं:

- Sachsen-Anhalt में: die Beratungsstellen der Gesonderten Beratung und Betreuung
🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/adressen-und-beratungsstellen/kontakte-landesweit/>,
- das Projekt „Right of Residence“ 🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/ueber-uns/projekte/ror/> des Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.;
- अन्य सभी राज्यों में: Flüchtlingsräte 🔗 <http://www.fluechtlingsrat.de/> वे या तो स्वयं सलाह देते हैं या परामर्श केंद्रों को संपर्क कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो विशेष वकीलों से भी संपर्क कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिये:

- Gutachten zu Mitwirkungspflichten von Dr. Carsten Hörich und Stud. Iur. Moritz Putzar-Sattler: „Voraussetzungen von Sanktionen bei Nichtmitwirkung im Ausländerrecht“
🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2017/11/9275/>;
- 🔗 [https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2018/08/ror-gutachten-zu-aufenthaltsmoeglichkeiten-nach-dem-asylverfahren](https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2018/08/ror-gutachten-zu-aufenthaltsmoeglichkeiten-nach-dem-asylverfahren;);
- 🔗 https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2017-11-13_bleiberecht-2017_web.pdf